जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 05.12.2023**

थाना कैराना

प्रेस नोट

थाना कैराना पुलिस द्वारा मोबाइल, वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल व एक मोबाइल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.11.2023 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री इमरान पुत्र मौहम्मद अली निवासी दरबारखुर्द तितरवाडा रोड़ गली नम्बर 106 कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली द्वारा अपने सग साले से मांगकर लायी गयी मोटरसाईकिल रजि0 नम्बर UP19K8196 को अपने घर के बाहर से अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 27.08.2023 को वादी श्री मौहम्मद सरवर पुत्र अनवर निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द रेतेवाला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के मकान से मोबाइल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी की गयी 01 मोटरसाईकिल व एक मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. तहसीम पुत्र मूदा निवासी मौहल्ला शाहमुबारिकपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. मोटरसाईकिल सुपर स्पलेंडर (रजि0 नं0 UP19K8196)
2. एक मोबाइल ओप्पो रैनो 10

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तहसीम उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 136/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 530/20 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 532/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 57/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 586/23 धारा 380/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 668/23 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2. हे0का0 वरणकार थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2002 में अभियुक्त मुस्तफा पुत्र सुक्खा निवासी बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 56/2002 धारा 5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2023 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा धारा 5/8 सीएस एक्ट में 5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2000 में अभियुक्त इमरान पुत्र इन्तजार निवासी भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 116/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2023 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 500/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिन के कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1. मुस्तफा पुत्र सुक्खा निवासी बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2. इमरान पुत्र इन्तजार निवासी भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।